

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

/पटना, दिनांक- 31.03.2025

पत्रांक- मु0310 (अ0उ0)4515 -01-167/2025 704

प्रेषक, **उज्ज्वल कुमार सिंह**, भा0प्र0से0  
विशेष सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)**

बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद में निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद के अधीन तालिका में अंकित संबंधित कार्य प्रमंडल के योजनाओं के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 05 करोड़ तक की है, पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:-

| Sl No.       | District | Division | Block  | Road Name                                                    | Length (in Km) | Cost of Initial Rectification, Minor improvement and Surface Renewal (in Lakhs) | Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs) | Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs) | Administrative Cost and Contingency Cost [ @ 2.25% +1%] (in lakhs) | Total Estimated Cost (In Lakhs) |
|--------------|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2        | 3        | 4      | 5                                                            | 6              | 7                                                                               | 8                                                            | 9                                                 | 10                                                                 | 11                              |
| 1            | Bhojpur  | Piro     | Sahar  | L046 to Yugul Tola                                           | 1.630          | 177.556                                                                         | 12.809                                                       | 28.555                                            | 6.187                                                              | 225.107                         |
| 2            | Bhojpur  | Piro     | Sahar  | S011 to Bajrain Purvi Tola                                   | 1.910          | 134.108                                                                         | 21.799                                                       | 23.386                                            | 5.067                                                              | 184.360                         |
| 3            | Bhojpur  | Piro     | Sahar  | T03 to Kosihar                                               | 1.640          | 74.34                                                                           | 16.096                                                       | 13.565                                            | 2.939                                                              | 106.940                         |
| 4            | Bhojpur  | Piro     | Sahar  | L044 to Dhanchhua Chamar Toli                                | 1.200          | 84.472                                                                          | 6.49                                                         | 13.644                                            | 2.957                                                              | 107.563                         |
| 5            | Bhojpur  | Piro     | Sahar  | S024 to Purhra Tola                                          | 1.350          | 77.905                                                                          | 14.451                                                       | 13.85                                             | 3.002                                                              | 109.211                         |
| 6            | Bhojpur  | Piro     | Tarari | Tarari Bikaramganj Path (Karath pul) to karath Purvi Tola    | 0.750          | 70.742                                                                          | 3.738                                                        | 11.172                                            | 2.421                                                              | 88.073                          |
| 7            | Bhojpur  | Piro     | Tarari | Barka Gaon to Khelriya                                       | 1.800          | 104.089                                                                         | 15.559                                                       | 17.947                                            | 3.888                                                              | 141.483                         |
| 8            | Bhojpur  | Piro     | Tarari | T05 to Karath (Durgpur)                                      | 2.700          | 138.18                                                                          | 26.495                                                       | 24.701                                            | 5.352                                                              | 194.728                         |
| 9            | Bhojpur  | Piro     | Tarari | Mopati to Sikarahata Kuiaa Tola (Domwa ke Thaha tola)        | 3.550          | 218.539                                                                         | 32.386                                                       | 37.639                                            | 8.155                                                              | 296.719                         |
| 10           | Bhojpur  | Piro     | Tarari | Nirbhaydihara to Gajodih                                     | 2.000          | 146.871                                                                         | 16.81                                                        | 24.552                                            | 5.32                                                               | 193.553                         |
| 11           | Bhojpur  | Piro     | Tarari | Panchayat Bhawan Tarari to Tarari (Bind Toli Via Paswan Toli | 0.820          | 49.545                                                                          | 6.902                                                        | 8.47                                              | 1.834                                                              | 66.748                          |
| <b>Total</b> |          |          |        |                                                              | <b>19.350</b>  | <b>1276.347</b>                                                                 | <b>173.535</b>                                               | <b>217.481</b>                                    | <b>47.122</b>                                                      | <b>1714.485</b>                 |

2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -103-सागान्य मद के लिए योजना, उपशीर्ष -0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सागान्य मद), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-103-0121, मूल बजट उपबंध-625 करोड़ रु० है। निर्धारित Bank of Sanction के अतिरिक्त दिनांक 02.08.2024 एवं 22.01.2025 को लोक वित्त समिति द्वारा योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु क्रमशः राशि 1500 करोड़ रुपये एवं 16125 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। वर्णित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
3. इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथों के प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प संख्या- 1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प संख्या-1718 दिनांक 15.11.2024 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
4. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
5. पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
7. वर्णित योजनाओं से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर की गई प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन नहीं है।
11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
18. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
19. सारणी में अंकित योजनाओं के **प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)4515-01-167/2025 के पृ०- 05 /टि० पर दिनांक-31.03.2025 को प्राप्त है।
20. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ० (अ०उ०)4515-01-167/2025 के पृ०- 06/टि० पर दिनांक-31.03.25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(सुज्वल कुमार सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-167/2025 704 /पटना, दिनांक- 31.03.2025  
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-167/2025 704 /पटना, दिनांक- 31.03.2025  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

